कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिलाः-दुर्ग

विषयः— जोन 05 अंतर्गत दशहरा मैदान हुडको में निर्मित क्रिकेट ग्राउण्ड का संचालन एवं रखरखाव कार्य।

// E.O.I ऑफर आमंत्रण के अंतर्गत नियम एवं शर्ते निम्नानुसार होगी//

1. ऑफर में भाग लेने हेतु निविदाकार को राशि रु. 750.00 के डिमांड ड्रॉफ आयुक्त नगर पालिक निगम के नाम देय होगा ।

2. खेल मैदान के संचालन /संधारण एवं रखरखाव की अवधित अधिकतम 03 वर्ष होगी जिससे प्रथम वर्ष में सफलता पूर्वक एजेंसी द्वारा संचालन/संधारण किये जाने के उपरांत प्रति वर्ष विस्तार किये जाते हुए अगले 02 वर्ष तक उक्त कार्य हेतु मान्य की जावेगी। नियमानुसार निवदा में एजेंसी से अमानत राशि रू 1,00,000.00 लिया जावेगा। EMD की राशि रू. 1,00,000.00 मात्र की राष्ट्रीयकृत बैक से एफ.डी.आर के रूप में कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई एवं निविदाकार/एजेंसी संयुक्त नाम जमा करना होगा।

3. उक्त खेल मैदान में क्रिकेट के संचालन एवं प्रबंधन करने का एजेंसी को पर्याप्त अनुभव होना चाहिए जिसमें पूर्व में किये गये क्रिकेट के संचालन एवं प्रबंधन का अनुभव प्रमाण पत्र या संचालन एवं प्रबंधन से संबंधित सहायक दस्तावेज के आधार पर कार्य आबंटन में प्राथमिकता दी जावेगी।

4. ऑफरदाता को संचालन/ संधारण एवं रख रखाव हेतु दिए गए कार्यादेश के समय, मैदान की स्थिति अनुसार ही संचालन/संधारण अवधि पूर्ण होने के उपरांत निगम को मैदान, ऑफरदाता द्वारा कार्यादेश के समय की स्थिति में वापसी किया जाना आवश्यक एवं बंधनकारी होगा ।

5. ऑफरदाता द्वारा अधिकतम 10 होर्डिंग साइज अधिकतम 5.0 मीटर x 2.0 मीटर अधिकतम 3 मीटर ग्राउण्ड लेवल से उचाई युक्त व्यवसायिक होर्डिंग्स Structure stability के साथ लगाने हेतु अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। जिसमें कोई आपत्तिजनक विज्ञापन अमान्य रहेगा, आवश्यकतानुसार शासन से संबंधित योजनाओं का कम से कम 02 होर्डिंग विज्ञापन प्रदर्शन आवश्यक होगा ।

6. ऑफरदाता को संचालन /संधारण हेतु होर्डिंग विज्ञापन के माध्यम से आय के स्त्रोत उत्पन्न किया जाना अनिवार्य होगा। जिसकी सूचना नगर पालिक निगम भिलाई को देंगें।

7. खेल मैदान में विद्युत खपत देयक भुगतान की संपूर्ण जिम्मेदारी एवं खेल मैदान में स्थापित हर प्रकार के विद्युत से संबंधित उपकरणों की सुरक्षा संधारण की संपूर्ण जिम्मेदारी सफल ऑफरदाता एजेंसी को होगी ।

8. निगम/जिला/प्रशासन/राज्य शासन को मैदान की जितने दिनों हेतु आवश्यकता पड़ेगी, उतने समयावधि हेतु एजेंसी को निःशुल्क खेल मैदान उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी होगा ।

9. वर्तमान में खेल परिसर जैसे है वैसी स्थिति में बनाए रखना होगा ।

Scanned with CamScanner

10. समस्त विद्युत उपकरण, मैदान, पाथवे, मुत्रालय, शौचालय मैदान, बैठक व्यवस्था, कार्यालय इत्यादि, समस्त परिसम्पत्ति का नियमित संधारण किया जाकर यथावत बनाए रखना होगा ।

11. पूरे परिसर तथा सामने भाग में सडक की साफ–सफाई बनाए रखना होगा।

12. ऑफरदाता (एजेंसी) को सुबह 06.00 बजे से सुबह 8.00 बजे तक निःशुल्क प्रवेश एवं खेल आयोजन करना अनिवार्य होगा।

13. सुबह 06.00 बजे से सुबह 8.00 बजे के समय के अतिरिक्त ऑफरदाता को अधिकार होगा कि वह खेल मैदान के संचालन/संधारण हेतु निर्धारित शुल्क के साथ खेल कोचिंग, खेल आयोजन की व्यवस्था कर सकेगा।

14. मैदान परिसर के बाहर खिलाडियों से संबंधित स्वास्थ्यवर्धक खाने–पीने की व्यवस्था के लिए स्वच्छता बनाए रखने की शर्तो पर आय वेंडरों के द्वारा स्टाल लगाने की अनुमति निर्धारित नियमों एवं शर्तो के अधीन ऑफरदाता द्वारा नगर पालिक निगम से अनुमति प्राप्त कर व्यवस्था की जा सकेगी।

15. अनुबंधकर्ता ऑफरदाता द्वारा रखे गए कर्मचारियों के कार्य समय के दौरान मृत्यु/दुर्घटना के लिए अनुबंधकर्ता एजेंसी स्वंय जवाबदारी होगी ।

16. अनुबंधकर्ता ऑफरदाता के द्वारा कार्य के संबंध में कोई भी दावा व वाद आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई को स्वीकार्य नहीं होगा । न्यायालयीन वाद की स्थिति में वाद का क्षेत्र दुर्ग रहेगा।

17. मैदान में किसी भी प्रकार के विवाद या आपत्ति की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

18. concept plan में ग्राउण्ड के संचाालन हेतु आफरदारा द्वारा प्रवेश शुल्क एवं अन्य शुल्क का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।

19. आमंत्रित EOI में concept plan को समिति द्वारा चयन किया जावेगा। प्रतिभागी को समति के समक्ष Presentation देना होगा। उसके आधार पर प्रतिभागी को मार्क्स प्रदान किया जावेगा।

20. समिति द्वारा प्रतिभागीयों को दिये जाने वाले अंक का विवरण निम्नानुसार हैः–

क	कार्य का विवरण	अंक (**Maximum marks**)
1	concept plan	30
2	Presentation	20
	कुल	50

21. अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले एजेंसी या ऑफरदाता को प्राथमिकता देकर कार्यादेश प्रदान किया जावेगा।

22. समिति का गठन आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा किया जावेगा।

सहायक अभियंता
जोन 05 सेक्टर 06
नगर पालिक निगम भिलाई

जोन आयुक्त
जोन 05 सेक्टर 06
नगर पालिक निगम भिलाई

Scanned with CamScanner